

संख्या-270066 /XXIV-C-2 /2025-22(02) /2024 /73448

प्रेषक,

डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 24 जनवरी, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी0एम0-उषा फेज-3 के अन्तर्गत चयनित राज्य विश्वविद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नोडल अधिकारी, रूसा परियोजना निदेशालय, देहरादून के विभिन्न दिनांकित पत्रों यथा पत्रांक-13/(162)रूसा/2024-25, दिनांक 27 मई, 2024, पत्रांक-15/(162)रूसा/2024-25, दिनांक 28 मई, 2024, पत्रांक-17/(162)रूसा/2024-25, दिनांक 03 जून, 2024, पत्रांक-18/(162)रूसा/2024-25, दिनांक 10 जून, 2024, पत्रांक-20/(162)रूसा/2024-25, दिनांक 11 जून, 2024, पत्रांक-23/(162)रूसा/2024-25, दिनांक 14 जून, 2024 एवं पत्रांक-31/(162)रूसा/2024-25, दिनांक 01 जुलाई, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0एम0-उषा योजना के अन्तर्गत चयनित राज्य विश्वविद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि कार्यों हेतु पृथक-पृथक आंगणन गठित कर स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये हैं तथा पत्रांक-91/4(पी0एम0-उषा)(रूसा)/2024-25, दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से उक्त योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के आदेश संख्या-24-7/2024-U.Policy दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्पर्श राज्यों के लिए Mother Sanction की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य हेतु 90:10 component के अन्तर्गत ₹980.00 लाख की Mother Sanction की गयी है।

2- उपरोक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी0एम0-उषा योजना के अन्तर्गत चयनित तथा निम्न तालिका में उल्लिखित राज्य विश्वविद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि कार्यों हेतु निम्नानुसार कुल ₹10957.91 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान करते हुये उक्त निर्माण कार्यों हेतु भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 द्वारा प्राप्त ₹980.00 लाख (90 प्रतिशत) की Mother Sanction के सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में ₹108.88 लाख (रूपये एक करोड़ आठ लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय एवं

प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र०सं०	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम	अनुमोदित धनराशि
1	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	4568.46
2	दून विश्वविद्यालय, देहरादून	2308.41
3	राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय, बनास पैठाणी (पौड़ी गढ़वाल)	1000.00
4	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	1002.78
5	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (अल्मोड़ा)	500.00
6	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग (चमोली)	500.00
7	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पाटी (चम्पावत)	576.38
8	राजकीय महाविद्यालय, खिर्सू (पौड़ी गढ़वाल)	501.88
	योग	10957.91

1. धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अनुमोदित कार्य रूसा/पी०एम०-ऊषा के मानकानुसार हो तथा अनुमोदित लागत रूसा/पी०एम०-ऊषा के अंतर्गत कार्य हेतु स्वीकृत लागत की सीमान्तर्गत हो। अन्यथा की स्थिति में अगली किस्त स्वीकृत करने से पूर्व तदनुसार यथाआवश्यक कार्य में कटौती करते हुए यथाआवश्यक अनुमोदनोपरान्त कार्य की लागत अनुमन्य लागत के सीमान्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं रूसा/पी०एम०-ऊषा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गार्डिलाइन तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को अवमुक्त की जायेगी तथा उनके द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी

- जायेगी। उक्त धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. उपरोक्त योजनाओं हेतु एस0एन0ए0 स्पर्श की प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय।
 5. कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं दून विश्वविद्यालय के कार्यों हेतु स्वीकृत आंगणनों के सापेक्ष शासन द्वारा मात्र पी0एम0उषा के अन्तर्गत अनुमन्य धनराशि का ही भुगतान किया जायेगा शेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्रोतों से वहन की जायेगी।
 6. भवनों का निर्माण कार्य NBC and Uttarakhand Building Bye-Laws एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाय। विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बजट के आधार पर भवनों का निर्माण इस प्रकार से हो कि निर्मित भवन को उपयोग में लाया जा सके। अपरिहार्य परिस्थिति में बजट की अनुपलब्धता के कारण कार्य को अवरुद्ध भी करना पड़े तो तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित Stage पर ही अवरुद्ध किया जाय।
 7. कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व वास्तविक एस0बी0सी0 के आधार पर भवन की Structural Design एवं Drawing किसी अधिकृत संस्थान से वैट अवश्य करायी जाय।
 8. अग्नि सुरक्षा हेतु परिसर में Inbuilt Fire Safety Mechanism का प्राविधान किया जाय तथा नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाय। कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा के कार्यों के प्राविधान को अग्नि सुरक्षा विभाग से वैट अवश्य कराया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
 9. परिसर में विद्युतीकरण के प्राविधानों का विषेश ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0-62561-7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning Protection System IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विद्युतीकरण के प्राविधानों को सम्बन्धित विभाग से वैट करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र विद्युत सुरक्षा विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। विद्युतीकरण के कार्यों को विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं से ही सम्पादित कराया जाय।
 10. भवन में Green Building के मानकों के अनुसार आवश्यक प्राविधान किये जाय।
 11. तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।
 12. आंगणन में दरें डी0एस0आर0 2023 की ली गयी है, जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त करते हुए दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही इन मदों का कार्य कराया जाय।
 13. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 14. परिसर भवन में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।
 15. कार्य कराये जाने से पूर्व UG Tank, RWH Tank आदि का आवश्यकतानुरूप मानकों

के अनुसार डिजाइन किया जाय।

16. परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद् आदि की Fee में कोई वृद्धि नहीं होगी।
17. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
18. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराया जाय।
19. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
20. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
21. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।
22. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अप्रतिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
23. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये विश्वविद्यालय कुलसचिव द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा। शासन द्वारा शासनादेश संख्या 571/XXVII(1)/2011 दिनांक 19.10.2011 के आलोक में समयबद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
24. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (विधायक संशोधन) 2017 का कड़ाई से पालन किया जाय।
25. गुणवत्ता उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/xiv-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
26. तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्ज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।
27. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य के निष्पादन हेतु एक समय सारिणी निर्धारित की जायेगी तथा कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया

जायेगा। विलम्ब अथवा अन्य किसी भी कारणों से आंगणन का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

28. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 3881/PS-CS/2023, दिनांक 20 जुलाई, 2023 द्वारा शासकीय कार्यालयों में विद्युत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त कार्यवाही विभाग के मानकों के अनुसार अथवा प्रत्येक तीन माह में अथवा आवश्यकतानुसार दोहराई जानी सुनिश्चित की जाय।
29. कार्यदायी संस्था द्वारा भवनों हेतु मूलभूत फर्नीचर की आवश्यकता की पूर्ति भी उपरोक्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष सुनिश्चित की जायेगी तथा नियोजन विभाग की व्यय वित्त समिति के कार्यवृत्त संख्या-1121/उच्च शिक्षा विभाग/ई0एफ0सी0/शा0यो0आ0/2024, दिनांक 30 अगस्त, 2024 में अंकित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
30. प्रस्तावित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
31. प्रस्तावित योजना में शेयरिंग पैटर्न के अनुरूप ही वित्तीय व्यय भार वहन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
32. प्रस्तुत योजना का औचित्य आंगणन की लागत एवं उसकी उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित करने का दायित्व रूसा निदेशालय एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कुलसचिव/प्राचार्य का होगा।
33. उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु नियोजन विभाग की व्यय वित्त समिति, विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों तथा टी0ए0सी0 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत निम्न तालिकानुसार उल्लिखित लेखाधीशक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र० सं०	लेखाधीशक	बजट प्रावधान	स्वीकृत धनराशि
अनुदान संख्या 11			
1	2202-03-103-0101-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण	900.00	9.30
2	4202-01-203-0101-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण	2500.00	70.00
अनुदान संख्या 30			

3	2202-03-001-0101-14-केन्द्र योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण	प्रायोजित	270.00	18.91
अनुदान संख्या 31				
4	2202-03-103-0101-14-केन्द्र योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण	प्रायोजित	180.00	10.67
कुल योग			3850.00	108.88

(रुपये एक करोड़ आठ लाख अट्ठासी हजार मात्र)

उक्त प्रस्ताव वित्त विभाग के आवासकीय संख्या-1/269721/2025, दिनांक 21/01/2025 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by

Ranjit Kumar Sinha

Date: 22-01-2025 15:54:44 (डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा)

सचिव।

संख्या: 270066 (1)/XXIV-C-2/2025-22(02)/2024/73448 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
- 2-आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
- 3-सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4-निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 6-नोडल अधिकारी, रुसा परियोजना निदेशालय, देहरादून।
- 7-सम्बन्धित कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय द्वारा नोडल अधिकारी, रुसा।
- 8-सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय द्वारा नोडल अधिकारी, रुसा।
- 9-निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड।
- 10-बजट राजकोशीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 11-वित्त अनु०-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 12-सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था द्वारा नोडल अधिकारी, रुसा।
- 13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by

Deepak Kumar (दीपक कुमार)

Date: 24-01-2025 11:37:19

अनु सचिव।